सकर्मक विमर्श

पानी की सियासत

अभी हाल ही में दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए पानी को दो से तीन गुना तक महँगा बना दिया। इसके साथ ही दिल्ली की जनता के लिए पीने के पानी की समस्या और अधिक भयंकर हो गई। शीला दीक्षित ने कहा कि शहर में जारी विकास कार्यों के लिए राजस्व जुटाने के लिए यह क़दम उठाया गया है। ज्ञात हो कि दिल्ली में पिछले क़रीब 8 वर्षों से 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी चल रही है। इसके मद्देनज़र दिल्ली में होटलों, एक्सप्रेस-वे, फ़्लाईओवरों आदि का निर्माण चल रहा है। यह सारा इन्तज़ाम दिल्ली को विदेशी सैलानियों और अमीरज़ादों की औलादों के लिए सैरगाह बनाने के लिए किया जा रहा है। प्रदेश की ग़रीब जनता को इससे कुछ भी नसीब नहीं होने वाला है। हम सभी इस बात को जानते हैं। इसके लिए जनता के जेब से एक-एक करके हर पाई निचोड़ डालनें का षड्यंत्र रचा गया है। पहले बिजली महँगी हुई, उसके बाद डी.टी.सी. का किराया बढ़ा, फिर मेट्रो का किराया और अब पानी!

पानी हम लोगों की एक बुनियादी ज़रूरत है। कहा भी गया है कि 'जल ही जीवन' है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ़ पानी ज़रूरी होता है। वैज्ञानिक समुदाय भी आज चाँद और मंगल ग्रह पर पानी से जुड़ी खोजों पर काम कर रहा है। भारत के सन्दर्भ में बात की जाए तो पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पीने के लिए साफ़ पानी की बात तो छोड़िये प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों के लिए भी पानी की कमी बढ़ती जा रही है। देश के कई राज्यों समेत देश की राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल हो चुका है। इक्कीसवीं सदी में भी लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। सिर्फ़ ऊपरी तबके के लोग और अफ़सरशाही के लोग ही इस समस्या से कोसों दूर हैं। पानी की कमी की समस्या का असली सामना तो यहाँ का आम मेहनतकश वर्ग कर रहा है। देश की 84 करोड़ जनता जो 20 रुपये से भी कम पर रोज़ाना गुज़र कर रही है महँगाई, अशिक्षा, बेरोज़गारी, महँगी दवा-इलाज से तो जूझ रही है अब साफ़ पानी के अधिकार से भी महरूम होती जा रही है। आइये कुछ तथ्यों पर ग़ौर करें ।

– भोपाल से चालीस कि.मी. दूर सिहोर में नगरपालिका ने स्थानीय लोगों को पीने के पानी का राशनकार्ड देने का फ़ैसला किया है ताकि सब लोगों को पानी बराबर मिल सके और दबंग लोग उस पर क़ब्ज़ा न कर पाए। भोपाल से ही डेढ़ सौ किमी दूर देवास शहर में पानी की सप्लाई करनेवाली पाइपों की सुरक्षा के लिए धारा 144 लगा दी गई है। यही हाल उज्जैन का है।

– हिमाचल के शिमला में पानी हर दूसरे दिन ही आता है।

– एक रिर्पोट के अनुसार उ.प्र., राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु भी पानी का गम्भीर संकट झेल रहे हैं।

– पानी की गुणवत्ता के मामले में दुनिया के 122 देशों में भारत का नाम तीन सबसे प्रदूषित पानी वाले देशों में शामिल है।

– देश में जितने बच्चों की मौत प्रदूषित पानी के कारण होती है उतनी किसी और अन्य पदार्थ के उपभोग से नहीं होती है।

– देश की राजधानी दिल्ली के हालात तो बहुत गम्भीर हैं। दिल्ली सरकार ने इस मामले में हाथ खड़े कर दिये हैं और इसने केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। दिल्ली की माननीय मुख्यमन्त्री ने इस समस्या का कारण सीधे-सीधे प्रदेश की बढ़ती आबादी को बताया है।

ख़ैर यह कोई नयी बात नहीं है कि भारत देश के सांसद, विधायक समेत इस पूँजीवादी व्यवस्था के पैरोकार लोग जब समस्या का हल नहीं निकाल पाते हैं तो समस्या का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या बता कर पल्ला झाड़ लेते हैं। प्रिण्ट मीडिया और इंलेक्ट्रोनिक मीडिया भी नेक नसीहतें और सलाहें प्रस्तुत करते हुए जनता की पक्षधरता का नाटक बखूबी अदा करता है। यह बात सही है कि हमारे देश में प्राकृतिक एवं भौगोलिक असमानता है, यानि पानी के स्रोत हर राज्य व क्षेत्र में समान रूप से उपलब्ध नहीं है लेकिन क्या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्तरों से इस प्रकृति प्रदत्त समस्या से निपटा नहीं जा सकता! विज्ञान व उच्चतम तकनीक के माध्यम से आज के समय में यह सम्भव है। लेकिन देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जिन वी.आई.पी. इलाक़ों जैसे नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू और ऐसे इलाक़े में रहते हैं वहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। सब राज्यों की राजधानी में बसे सत्ताधारी लोगों को भी उनकी ज़रूरत से अधिक साफ़ पानी चौबीस घण्टे उपलब्ध रहता है। तब उन लोगों को आम मेहनतकश जनता का दर्द कहाँ से नज़र आयेगा। दूसरा पहलू यह है कि उदारीकरण, निजीकरण के नाम जिस तरह पूँजीपतियों को लूटने की खुली बेलगाम छूट दी जा चुकी है तो ऐसे में पूँजीपति पानी को भी बिकाऊ माल बनाकर बाज़ार में बेच कर मुनाफ़ा अर्जित करने में पीछे क्यों रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने पानी के मसले पर कहा था कि जो सरकार लोगों को पानी मुहैया न करा सके, उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायपालिका के ये फ़रमान महज़ बातें हैं, और इन बातों का क्या?

मुद्दे पर पुन: लौटते हुए हम बात कर रहे थे कि बढ़ती जनसंख्या को पानी की कमी का कारण घोषित कर दिया गया है। लेकिन क्यों? केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति हर साल 1,023 घनमीटर पानी मिल सकता

है। जबकि 2000 में प्रति व्यक्ति माँग केवल 634 घनमीटर थी। अगर पिछले नौ सालों में यह माँग बढ़ भी गई होगी तो यह 700 घनमीटर से अधिक नहीं हो सकती। तो फिर व्यवधान कहाँ है? व्यवधान हमारे समाज के भीतर ही मौजूद है। दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के समानान्तर दबंग लोग और अवैध जल माफ़िया पानी का कारोबार कर रहे हैं। इन लोगों ने पानी के पाइपलाइन बिछाकर कनेक्शन बाँट रखे हैं। 1300 करोड़ से ज़्यादा के इस सालाना कारोबार में 1900 सम्पत्तियाँ निजी हाथों में दी जा चुकी हैं। इसमें 600 करोड़ की लागत वाला दिल्ली का सोनिया विहार संयन्त्र भी है जो कि स्वेज डेगरामेण्ट कम्पनी ने लिया है जिसके हाथों में रिठाला संयन्त्र भी है। अलग-अलग ठेकेदारों के हाथों में एक हज़ार ट्यूबवेल, 300 सीवेज और बूस्टर पम्पिंग स्टेशन व 600 टैंकर देना भी शामिल है।

ग़ौरतलब बात यह है कि उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों के चलते देशी-विदेशी कम्पनियाँ प्रचुर मात्रा में भू-जल स्तर का दोहन कर उन्हें बोतल में पैक करके यहीं की जनता को बेचकर अपनी तिजोरियाँ भर रही हैं। अगर देश के नदियों की बात की जाए तो गंगा-यमुना समेत देश की तमाम नदियाँ आज प्रदूषित हो चुकी हैं। एक तरफ़ तो पूँजीपति प्राकृतिक सम्पदा और श्रम की लूट को लगातार जारी रखता है, दूसरी ओर उसी की फ़ैक्टरियों, कारखानों का टनों औद्योगिक रासायनिक कचरा नदियों को विषैला बनाने में कोई चूक नहीं करता है। आज ये हालात हैं कि देश की तमाम नदियों के पानी में घातक रसायन और धातुओं के स्तर तयशुदा सीमा से काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। जल के नमूने में आर्सेनिक, बेंजीन और सीसे की ख़तरनाक मात्रा पाई गई है। इस पानी के इस्तेमाल से आयु कम होने के अलावा कैंसर जैसी बीमारियों का जन्म होता है। हैजा, पेचिश जैसी आम बीमारियों के साथ-साथ दिमाग़ी और आनुवांशिक रोगों का भी जन्म होता है। कुछ बातों पर ग़ौर फ़रमाइये :

– सैण्ट्रल फूड एण्ड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (मैसूर) ने अपने कई अध्ययनों में पाया है कि मैसूर के आसपास के इलाक़ों में उगाई जाने वाली सब्जियों में सीसा, क्रोमियम, आर्सेनिक और पारा होता है। इसकी वजह यहाँ की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा है।

– पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने भी अपनी जाँच में औद्योगिक इकाई से सब्जियों के प्रदूषित होने की सत्यता प्रमाणित की है।

– अभी तक जो कुछ भी सामने आया है वह एक छोटा सा ट्रेलर है असली फ़िल्म तो 'इंडिया इज़ शाइनिंग' तो कभी 'भारत के विकास' के रेशमी और जगमगाते परदे के पीछे अबाध गति से चलायमान है। सरकार तभी जागती है जब समस्या ख़तरे के निशान से ऊपर हो जाती है और लोगों के आक्रोश के फूटने की स्थिति पैदा हो जाती है। आख़िरकार सरकार ने मजबूर होकर छः सौ छब्बीस ज़िलों में से एक सौ सत्तर ज़िलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। मानसून की कमी को सरकार ने सूखे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए विपक्ष से प्रश्न पूछने का मौक़ा भी हथिया लिया है।

असल बात तो यह है कि सत्ता के गलियारे के लोग पक्ष में बैठें या विपक्ष में इस अमानवीय और खोखली हो चुकी पूँजीवादी व्यवस्था के जुवे को जनता के कन्धों पर लादे रखना चाहते हैं। तब फिर क्या सरकार से अपेक्षा की जाए की वह गिरते भू-जल स्तर को ठीक करे, आम आबादी तक साफ़, स्वच्छ जल की आपूर्ति करे तथा नदियों को साफ़ करके इस्तेमाल करने लायक बना सके तथा अनेक अन्य उपायों से पानी के संकट से जनता को सदा के लिए मुक्ति प्रदान करे! सरकार अपनी नीतियों के द्वारा अपनी पक्षधरता साबित कर चुकी है। निर्णय हमें लेना है कि हमारी पक्षधरता किस ओर है। क्योंकि वास्तविक जीवन में दर्शक कोई नहीं होता, सबको ज़िन्दगी में हिस्सा लेना पड़ता है।

– गौरव

'वाह री न्यायपालिका' – तेरी जय हो!

प्रोफ़ेसर सभ्भरवाल हत्याकाण्ड का निर्णय आने के बाद देश के कई बड़े अखबारों ने टिप्पणी की कि देश की न्यायपालिका का चरित्र पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गये हैं। क्या वाक़ई ऐसा हुआ है, या फिर देश की न्यायपालिका का मूल चरित्र ही ऐसा है। अव्वलन तो दुनिया के इस सबसे विशाल लोकतन्त्र के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि इसके तीन स्तम्भों में से दो – विधायिका और कार्यपालिका, तो खुले और बिल्कुल नंगे तौर पर पूँजीपतियों की सेवा करते हैं, लेकिन न्यायपालिका अभी भी वर्गीय सीमाओं को लाँघकर न्याय की रक्षा करती है। शहरी मध्यवर्ग इसी तर्क के बल पर व्यापक आबादी को लोकतन्त्र की दुहाई देता रहता है। अगर प्रोफ़ेसर हरभजन सिंह सभ्भरवाल के हत्याकाण्ड और उसके बाद की पूरी क़ानूनी प्रक्रिया पर नज़र डाली जाये तो यह बात स्वतः ही स्पष्ट हो जायेगी कि न्यायपालिका और विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच कोई चीन की दीवार नहीं होती (यह इस बात का निषेध नहीं है कि उनका कोई स्वतन्त्र चरित्र नहीं होता)।

प्रोफ़ेसर सभ्भरवाल, उज्जैन के माधव कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के अधयक्ष थे। 6 अगस्त, 2006 में कॉलेज में एक आदेश के अनुसार छात्रसंघ चुनावों को स्थगित किया जा रहा था। इसी को लेकर प्रो. सभ्भरवाल छात्रों को समझाने के प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान छात्रों के एक समूह द्वारा, जिसमें मुख्यतः ए.बी.वी.पी. के कार्यकर्त्ता थे, उनके ऊपर हमला कर दिया। हमला इतना नृशंस और अपराधी क़िस्म का था, कि उन्हें पीट-पीट कर लहूलुहान कर दिया गया।